यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार के माह 09/2018 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री वी०पी०एस० नेगी, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24.02.2021 से 02.03.2021 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.09.2018 से 18.09.2018 तक श्री ए.सी.कटियार, व.लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 05/2014 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान मे माह 09/2018 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी।

1. 2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- विभिन्न क्षेत्रों से संबन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलान्मुख सरोकार को मुख्यधारा मे जोड़कर महिला व बाल अधिकारों के बारें मे जागरूकता का विकास करके तथा उनके सम्पूर्ण विकास हेतु उन्हे संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। विभाग द्वारा महिलाओं एवं बाल के विकास, देखभाल, संरक्षण व कल्याण हेतु संचालित किए जा रहे कतिपय अभिनव कार्यक्रम/योजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वित, निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाना है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के हरिद्वार जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(₹`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (समाज कल्याण विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2235	2315.89	2308.15	7.74
2018-19	2235	2836.90	2825.87	11.03
2019-20	2235,2071	2701.04	2799.79	-98.75
2020-21 (01/2021)	2235,2071	3204.07	2619.29	584.78
2020-21 (01/2021)	2071	0	4.59	-4.59

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अंतिम अवशेष (बैंक में)
2017-18	CPS	18.39	91.23	109.62	58.88	50.74
2018-19	CPS	50.74	78.61	129.35	71.85	57.50
2019-20	CPS	57.50	133.93	191.43	81.05	110.38
2020-21 (1/21)	CPS					

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. शासन स्तर पर: सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अनु सचिव, अनुभाग अधिकारी
2. निदेशालय स्तर पर: निदेशक, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, विधि अधिकारी, समूह ग एवं घ कर्मचारी
3. जनपद स्तर पर: जिला परिवीक्षा अधिकारी, समूह ग एवं घ कर्मचारी
4. संस्था स्तर पर: अधिक्षिका/अधीक्षक, मनोवैज्ञानिक, केस वर्कर, समूह ग एवं घ कर्मचारी
5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार** के 09/2018 से 01/2021 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 04/20, 03/20 (Treasury head-BM 5) & माह 07/19, 10/18 (सीपीएस) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-02 ब</u>

प्रस्तर 01:- इकाई द्वारा "गौरी देवी कन्या धन योजना की धनराशि मद के अन्तर्गत कुल 1505 पात्र कन्याओ को उक्त योजना का लाभ लेने से संप्रेक्षा तिथि-02/21 तक वंचित रखा जाना ।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या-749/XVII-04/2016-01(135)/2013-टी0सी0-01 दिनाँक-23/05/2016 एवं शासनादेश संख्या 888/xvii-4/2018-10(33)2014 दिनाँक-10/12/2018 के प्रस्तर-04 मे स्पष्ट है कि "गौरी देवी कन्या धन योजना की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से आवंटित की जाएगी के स्थान पर योजना के अंतर्गत चयनित प्रति छात्रा को ₹ 50,000.00 की धनराशि कन्या धन के रूप मे स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीय बैंक अथवा ऐसे शासकीय बैंक जो सी0बी0एस0 के माध्यम से जुड़े हो, मे छात्रा के नाम से तीन से पाँच वर्ष की सावधि जमा (fixed Deposit) के रूप मे रखी जायेगी तथा जिस पर प्रचलित ब्याज दरो के अनुसार मासिक ब्याज दिया जायेगा। गौरी कन्या धन योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रो मे ₹ 15976/ एवं शहरी क्षेत्रो मे ₹ 21206/ वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिका पात्र होगी ।

कार्यालय ज़िला परिवीक्षा अधिकारी हरिद्वार द्वारा "गौरी देवी कन्या धन योजना मद से संबन्धित लेखा अभिलेखो की लेखा परीक्षा अवधि- 09/2018 से 01/2021 तक की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त मद से कुल 1466 पात्र छात्राओ की स्वीकृति की गयी थी तथा 38 ऐसी छात्रा/कन्याएँ पायी गयी जिनके आवेदनो पर स्वीकृति उनके द्वारा आवेदन पत्रों के साथ आधार कार्ड सलनग्न नहीं पाये जाने के कारण उनके आवेदन पत्रों पर संप्रेक्षा तिथि-01/21 तक कार्यवाही लंबित थी ।इस प्रकार कुल 1505 पात्र कन्याओ को उक्त योजना का लाभ लेने से संप्रेक्षा तिथि-02/21 तक वंचित रखा गया था । उक्त त्रुटियो के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछने एवं इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि विभाग स्तर पर मात्र ₹ 4.24 लाख की धनराशि गौरी देवी कन्या धन योजना हेतु संचालित बैंक खाते मे उपलब्ध है तथा विभाग स्तर पर बजट उपलब्ध न होने के कारण कुल 1505 पात्र कन्याओ को उक्त योजना का भुगतान नहीं हो पाया था, जिसके कारण संप्रेक्षा तिथि-02/21 तक उक्त कन्याओ को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल सका । सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उक्त योजना के अंतर्गत 04 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी बजट मँगवाने का विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था क्योकि बजट मांगने एवं शासन/निदेशालय स्तर से पत्राचार करने का विगत 04 वर्षो का कोई अभिलेख सम्प्रेक्षा मे नहीं पाया गया था ।अत: उक्त योजना जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी थी उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाया ।प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-दो-ब

प्रस्तर02:- धनराशि ₹96.40 लाख का भोजन मद मे अनियमित अधिप्राप्ति (procurement) किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर संख्या 3 मे यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं मे पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। समस्त अधिप्राप्तियाँ निविदा के माध्यम से की जाएगी एवं सभी भागीदारों को बोलियाँ लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। समान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाए अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाए जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है। प्रस्तर 34 के अनुसार ₹25000/- से अधिक तथा ₹2,50,000/- तक लागत की सीमा मे क्रय की जाने वाली सामाग्री का क्रय गठित स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है परंतु प्रस्तर 09 के अनुसार जहां क्रय किए जाने वाली सामग्री का मूल्य ₹2.50 लाख से अधिक हो वहाँ सीमित निविदा पृछा अपनायी जाएगी। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे- छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। प्रस्तर 35 के अनुसार ₹2.50 लाख से अधिक की धनराशि की समस्त सामग्रियाँ एवं सेवाएँ की अधिप्राप्ति ई-प्रॉक्यूरमेंट के माध्यम से कराया जाएगा।

1) कार्यालय के बजट व्यय विवरण संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि कार्यालय के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ 03 इकाईयां (राजकीय बालगृह, राजकीय संप्रेक्षण गृह एवं राजकीय विशेष गृह- नॉन डीडीओ) को भोजन मद हेतु धनराशि का आवंटन किया जाता है, प्राप्त बजट का व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	मानक मद का नाम	कार्यालय को प्राप्त बजट	राजकीय बालगृह		राजकीय संप्रेक्षण गृह		राजकीय विशेष गृह	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2018-19	42-भोजन	1513000/-	633000/-	624372/-	200000/-	182742/-	680000/-	713991/-
2019-20	42-भोजन	1175000/-	525000/-	482856/-	125000/-	122261/-	525000/-	526724/-
2020-21	42-भोजन	1121000/-	496000/-	260383/-	115000/-	63654/-	510000/-	448337/-
	योग	3809000/-	1654000/-	1367611/-	440000/-	368657/-	1715000/-	1689052/-

2) इसी प्रकार कार्यालय के केन्द्रपोषित योजना CPS (Child Protection Services) के बजट व्यय विवरण से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि कार्यालय के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ 03 इकाईयां (राजकीय बालगृह, राजकीय संप्रेक्षण गृह एवं राजकीय विशेष गृह- नॉन डीडीओ) के द्वारा अनुरक्षण, भोजन, वस्त्र, बिस्तर, चादर इत्यादि मद मे व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	मानक मद का नाम	राजकीय प्लेस ऑफ सेफ़्टी	राजकीय बालगृह	राजकीय संप्रेक्षण गृह	राजकीय विशेष गृह	
		व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	
2018-19	अनुरक्षण, भोजन वस्त्र, बिस्तर, चादर आदि	414666	666481	202050	680418	
2019-20	अनुरक्षण, भोजन वस्त्र, बिस्तर, चादर आदि	614322	873111	409633	477786	
2020-21	अनुरक्षण, भोजन वस्त्र, बिस्तर, चादर आदि	202770	241567	498787	527984	
	योग	1231758	2226158	1070618	1686188	=6214722/-

लेखापरीक्षा ने उक्त संस्थाओं के मानक मद अनुरक्षण, भोजन वस्त्र, बिस्तर, चादर आदि व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया कि संस्थाओं के द्वारा उक्त मानक मद मे प्राप्त धनराशि का उपयोग/व्यय उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के उक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था। आगे पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि मे संस्थाओं के द्वारा उक्त मानक मद के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, विस्तर, चादर आदि सामाग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर विगत तीन वर्षों से Bombay Sales Corporation, Jawalapur, Haridwar (Firm) से किया जा रहा है। कोटेशन भी सिर्फ दो ही फ़र्मों से लिया गया था जबकि कोटेशन कम से कम तीन पंजीकृत फर्म की होनी चाहिए थी। अभिलेखों मे कोटेशन की स्वीकृति मे क्रय समिति के संस्तुति नहीं भी पाया गया। भोजन मद मे अधिप्राप्ति ₹ 2.50 लाख से अधिक की है फिर भी अधिप्राप्ति नियमानुसार ई टेंडरींग से नहीं किया जा रहा था। लेखापरीक्षा तिथि तक भोजन मद मे राजकीय बाल गृह एवं राजकीय संप्रेक्षण गृह मे क्रमशः धनराशि ₹ 79733/- एवं ₹ 46929/- के बिल भुगतान हेतु लंबित पाये गए।

इस प्रकार उक्त भोजन मद के अंतर्गत लेखापरीक्षा अवधि मे उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार व्यय नहीं कर धनराशि ₹ 96.40 लाख के अनियमित व्यय होने के प्रकरण को इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया किया कि भविष्य मे उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

उपरोक्त प्रकरण मे इकाई द्वारा स्वतः ही लेखापरीक्षा के द्वारा लगाए गए आपत्ति की पुष्टि किया जाता है। अतः प्रकरण को प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर01:- विधवा पेंशन एवं परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओ हेतु भरण पोषण अनुदान(संशोधन) योजना मद का भुगतान शासकीय दिशा-निर्देश के अनुरूप नहीं पाया जाना ।

(a) उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या-XVII-02/16-01(02)/2010 दिनाँक-26/05/2016 एवं शासनादेश संख्या-1747/XVII-02/20-19(05)2019 दिनाँक -11/02/20 के तहत विधवा पेंशन 40 वर्ष से 59 आयु तक के बीपीएल लाभार्थियो को केंद्र सरकार द्वारा ₹ 200/ प्रति माह तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 600/ मासिक पेंशन देय है । इसी प्रकार 18 वर्ष से 39 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु की बीपीएल श्रेणी के अतिरिक्त विधवा पेंशन के जिन लाभार्थियो की मासिक आय ₹ 4000/ तक है ऐसे समस्त लाभार्थियो को राज्य सरकार द्वारा ₹ 800.00 मासिक पेंशन देय है ।

सम्प्रेक्षा द्वारा **कार्यालय ज़िला परिवीक्षा अधिकारी हरिद्वार द्वारा** विधवा पेंशन मद से संबन्धित लेखा अभिलेखो की लेखा परीक्षा अवधि- 09/2018 से 01/2021 तक की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त मद से संबन्धित बीपीएल लाभार्थियो एवं अन्य लाभार्थियो को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए बजट के अनुसार सम्प्रेक्षा तिथि-01/2021 तक वर्ष 2018-19 के केंद्रान्श मद मे कुल ₹ 33.41 लाख प्राप्त आवंटन के सापेक्ष ₹ 33.37 लाख का व्यय किया गया एवं राज्यान्श मद से ₹ 2334.14 लाख के आवंटन के सापेक्ष ₹ 2328.85 लाख का भुगतान किया गया । इसी प्रकार वर्ष-2019-20 मे केंद्रान्श मद मे कुल ₹ 80.51लाख प्राप्त आवंटन के सापेक्ष ₹ 80.49 लाख का व्यय किया गया एवं राज्यांन्श मद से ₹ 2535.81लाख के आवंटन के सापेक्ष ₹ 2535.80 लाख का भुगतान किया गया था। आगे सम्प्रेक्षा द्वारा लाभार्थियो द्वारा इकाई के समक्ष प्रस्तुत विधवा पेंशन प्रपत्रों की जांच मे पाया गया कि लाभार्थियो को उक्त पेंशन विभाग द्वारा विधवा पेंशन मद के अंतर्गत भुगतान किए गए प्रकरणो का उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या-XVII-02/16-01(02)/2010 दिनाँक- 26/05/2016 के अनुपालन मे third party inspection/ verification रिपोर्ट पत्रावली मे नहीं पायी गयी । विभाग स्तर पर भौतिक सत्यापन हेतु न तो किसी कमेटी का गठन किया गया था न ही छात्रवर्ती योजना की तरह कोई जिलाधिकारी स्तर पर कोई उक्त योजना हेतु अनुश्रवण हेतु कोई तंत्र विधमान था । विभाग के विकास खण्ड स्तर से ही भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा था ,न ही विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तर से ही भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जाने का कोई अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत किया गया । लाभार्थियो द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों मे लाभार्थियो द्वारा सहमति पत्र नहीं पाया गया ।परिवार पंजिका मे लाभार्थी की जन्म तिथि का दिन एवं माह के साथ अंकन नहीं पाया गया । लाभार्थियो द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रपत्रों जैसे-आधारकार्ड, वोटर कार्ड, परिवार पंजिका एवं नामांकन (application form) मे जन्म तिथि त्रुटि पूर्ण पायी गयी जो लाभार्थि की पेंशन की पात्रता को संदिग्ध बनाती है । उक्त त्रुटियो के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछने एवं इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि भौतिक सत्यापन का समस्त कार्य हेतु कोई विभाग स्तर पर कमेटी गठित न होने के कारण समस्त कार्य खण्ड विकास अधिकारी स्तर से पूर्ण कराया जाता है। सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि पेंशन विभाग द्वारा विधवा पेंशन मद के अंतर्गत भुगतान किए गए प्रकरणो का उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या-XVII-02/16-01(02)/2010 दिनाँक-26/05/2016 के अनुपालन मे third party inspection/verification अनिवार्य है । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

(b) **कार्यालय ज़िला परिवीक्षा अधिकारी हरिद्वार के** अन्तर्गत रखरखाव किए गए परित्यक्ता पेंशन पत्रावली की जांच की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या-1138/XVII-02/2015-10(01)/2019 दिनाँक-04/08/2015 के क्रम मे परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओ हेतु भरण पोषण अनुदान(संशोधन) नियमावली-2015 के अन्तर्गत विभिन्न लाभार्थियो को दी जाने वाली "परित्यक्ता विवाहित महिला" से संबन्धित अनुदान योजना की विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रावली की सम्प्रेक्षा द्वारा नमूना जांच मे कुछ प्रकरणो को लिया गया तथा उनके व्यय की नियमितता की निमन्वत उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या-1138/XVII-02/2015-10(01)/2019 दिनाँक-04/08/2015 के क्रम मे मुख्य बिन्दुओ के परिपेक्ष मे जांच की गयी :-

पात्रता: -

- महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम से कम हो किन्तु शादी के बाद पति द्वारा छोड़े जाने का कम से कम 01 वर्ष व्यतीत हो गया हो ।
- यदि भरण पोषण अनुदान स्वीकृत होने के उपरान्त पति अथवा पत्नी उपचार के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने मे सक्षम हो जाता है तो अनुदान की सुविधा को समाप्त कर दिया जाएगा ।
- ऐसे पति अथवा पत्नी यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता मे आती है, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जाएगी ।

सम्प्रेक्षा द्वारा **कार्यालय ज़िला परिवीक्षा अधिकारी हरिद्वार द्वारा** परित्यक्ता विवाहित महिला भरण पोषण अनुदान मद से संबन्धित लेखा अभिलेखो की लेखा परीक्षा अवधि- 09/2018 से 01/2021 तक की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त मद से संबन्धित लाभार्थियो को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए बजट के अनुसार सम्प्रेक्षा तिथि-01/2021 तक वर्ष-2018-19 मे राज्यान्श मद से ₹ 17.97 लाख के आवंटन के सापेक्ष ₹ 17.97 लाख का भुगतान किया गया । इसी प्रकार वर्ष-2019-20 मे राज्यान्श मद से ₹ 25.41 लाख के आवंटन के सापेक्ष ₹ 25.41 लाख का भुगतान किया गया था ।

आगे सम्प्रेक्षा द्वारा लाभार्थियो द्वारा इकाई के समक्ष प्रस्तुत "परित्यक्ता विवाहित महिला" से संबन्धित अनुदान योजना प्रपत्रों की जांच मे पाया गया कि लाभार्थियो को उक्त पेंशन विभाग द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत भुगतान किए गए प्रकरणो का उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या-XVII-02/16-01(02)/2010 दिनाँक-26/05/2016 के अनुपालन मे third party inspection/ verification रिपोर्ट पत्रावली मे नहीं पायी गयी । विभाग स्तर पर भौतिक सत्यापन हेतु न तो किसी कमेटी का गठन किया गया था न ही छात्रवर्ती योजना की तरह कोई जिलाधिकारी स्तर पर कोई उक्त योजना हेतु अनुश्रवण हेतु कोई तंत्र विधमान था । विभाग के विकास खण्ड स्तर से ही भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा था, न ही विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तर से ही भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जाने का कोई अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत किया गया । उत्तराखंड शासन के शासनादेश के अन्तर्गत ONLINE DBT पद्धति से उक्त योजना के अन्तर्गत भुगतान करना अनिवार्य है परंतु विभाग द्वारा वर्ष-2019-20 मे 38.808 लाख की धनराशि का भुगतान NEFT पद्धति से किया गया था । लाभार्थियो द्वारा इकाई के समक्ष प्रस्तुत "परित्यक्ता विवाहित महिला" से संबन्धित अनुदान योजना प्रपत्रों के साथ प्रमाण पत्र/शपथ पत्र मे इस आशय का शासनादेश के अन्तर्गत प्रविधानित कोई प्रमाण पत्र अंकित नहीं पाया गया कि यदि कोई महिला दूसरी शादी कर ले या पति अथवा पत्नी उपचार के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने मे सक्षम हो गयी है या नहीं । उक्त त्रुटियो के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछने एवं इंगित करने पर विभाग ने अपने

उत्तर मे सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि भौतिक सत्यापन का समस्त कार्य हेतु कोई विभाग स्तर पर कमेटी गठित न होने के कारण समस्त कार्य खण्ड विकास अधिकारी स्तर से पूर्ण कराया जाता है ,एवं भविष्य मे इस आशय का प्रमाण पत्र लाभार्थियो से विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा कि यदि लाभार्थी महिला/पति द्वारा दूसरी शादी कर ली गयी है या नहीं या पति अथवा पत्नी उपचार के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने मे सक्षम हो गयी है या नहीं । सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि पेंशन विभाग द्वारा परित्यक्ता विवाहित महिला अनुदान योजना मद के अंतर्गत भुगतान किए गए प्रकरणो का उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या-XVII-02/16-01(02)/2010 दिनाँक-26/05/2016 के अनुपालन मे third party inspection/ verification अनिवार्य है ।प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर02:- राजकीय बाल गृह का संचालन शासकीय मानदंड के अनुसार नहीं पाया जाना।

जिला परिवीक्षा अधिकारी हरिद्वार कार्यालय के अधीन संचालित संस्थानों की लेखापरीक्षा मे ज्ञात हुआ कि जनपद मे 'राजकीय बाल गृह (किशोर)' समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि समेकित बाल संरक्षण योजना की गाइडलाइंस में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत व्यय किए जाने का प्रविधान है। इस संबंध में महिला कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित दिग्दर्शिका में उल्लेख पाया गया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 50 के अन्तर्गत 11 से 18 आयु वर्ग की अनाथ/निराश्रित/परित्यक्त/लावारिस बच्चे या जिनके माता-पिता/संरक्षक उनका पालन-पोषण करने में असमर्थ हो या किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो या कारावास में बंद हो, को बाल कल्याण समिति के माध्यम से संस्था मे प्रवेश दिया जाता है। बालकों को आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। भारत सरकार द्वारा राजकीय बाल गृह के संचालन के लिए जारी दिशानिर्देशों की वर्णित मुख्य तथ्य निमन्वत पायी गयी:-

- Services for children at all levels and by all providers should be provided by skilled and professional staff, including a cadre of social workers, psychologists, care givers, members of statutory bodies and lawyers, adhering to an ethical and professional code of conduct.
- Planning and implementation of child protection policies and services delivery should be child centered at all levels, so as to ensure that, the best interest of the child is protected.

उक्त के परिप्रेक्ष्य में जांच मे पाया गया कि 100 की स्वीकृत क्षमता के अन्तर्गत 24 कमरों का निर्मित बाल गृह मे से 12 कमरे ही आवंटित है तथा शेष 12 कमरे चुनाव कार्य के लिए अधिकृत करते हुए वर्ष 2019 से उपयोग मे लाये जा रहें है। दिशानिर्देशों के अनुसार बालगृह में child caring तथा child psychology, चिकित्सक की तैनाती, कार्यशाला तथा कौंन्स्लर की अनुपलब्धता पायी गयी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि विभाग द्वारा 100 कि क्षमता हेतु कुल 24 कमरों का भवन निर्मित है, परन्तु जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूतल से समस्त 12 कमरे चुनाव कार्यों हेतु अधिकृत कर रखें हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष आई० सी० पी० एस० योजना के कार्मिक तैनात हैं।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, स्वीकृत क्षमता का पूर्णतः उपयोग न करना बाल संरक्षण योजना के पूर्ण क्रियान्वयन मे उदासिनता दर्शाता है। दिशानिर्देश के अनुसार तैनात कार्मिकों के लिए कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षणों का आयोजन न करना, आवश्यक पदों का रिक्त पड़ा रहना निराश्रित बालकों को पैतृक वातावरण तथा सर्वांगीण विकास के लिए संस्थागत कमियाँ पायी गयी। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ'**	**भाग-II 'ब'**	**STAN**
19/2014-15	-	1	-
112/2018-19	-	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या/लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
19/2014-15	भाग-दो-ब-01	कार्यालय द्वारा अध्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।	अध्यतन अनुपालन आख्या के अभाव मे प्रस्तर यथावत रहेगा	यथावत
112/2018-19	भाग-दो-ब-01	तदैव	तदैव	यथावत

इकाई के द्वारा उत्तर दिया गया कि लंबित प्रस्तरों के निस्तारण हेतु अनुपालन आख्या महालेखाकर लेखापरीक्षा कार्यालय को उच्चतर अधिकारी से संस्तुत कराकर शीघ्र ही प्रेषित किए जाएंगे।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------<u>शून्य</u>-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
01	श्री दीपक अग्निहोत्री	जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार (अतिरिक्त प्रभार)	09/2018 से 28.02.2019
02	श्री रंजीत सिंह वर्तवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार (अतिरिक्त प्रभार)	06.03.2019 से 14.09.2019
03	डा॰ विकेश कुमार सिंह यादव	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार (अतिरिक्त प्रभार)	14.09.2019 से 30.09.2019
04	श्री अरविंद कुमार गौतम	कृषि रक्षा अधिकारी, हरिद्वार (अतिरिक्त प्रभार)	30.09.2019 से 21.11.2019
05	श्री अविनाश सिंह भदौरिया	जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार	21.11.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए॰एम॰जी॰1), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून - पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

एएमजी-I